नियम 119 : फीस

(1) विभिन्न विषयों के संबंध में, इन नियमों से संलग्न फीस **अनुसूची में विहित फीस** का भुगतान किया जाएगाः

परन्तु यह कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रश्नगत मामले से संबंधित किसी विभागीय प्राधिकारी द्वारा फाइल याचिका या आवेदन या किए गए संदर्भ पर कोई फीस देय नहीं होगी या वसूल किए जाने योग्य नहीं होगी।

(2) प्रत्येक अन्तरवर्ती आवेदन के संबंध में, इन नियमों की फीस की अनुसूची में निर्धारित फीस का भुगतान किया जाएगाः
परन्तु यह कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रश्नगत मामले से संबंधित किसी विभागीय प्राधिकारी द्वारा फाइल याचिका या आवेदन या किए गए संदर्भ पर कोई फीस देय नहीं होगी या वसूल किए जाने योग्य नहीं होगी।

(3) प्रधान पीठ या अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ के समक्ष फाइल याचिका या अपील या आवेदन या किए गए संदभों के संबंध में, इस भाग में निर्दिष्ट फीस जीएसटीएटी पोर्टल पर दिए गए ढंग से संदत्त किया जाएगा।